

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध-10/2017 /श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो या दो वर्ष से अधिक अवधि के व्यावसायों के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता एवं संकाय निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा दिया जाता है को 10वीं एवं 12वीं की समकक्ष निम्न शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

1. कक्षा 10वीं की समकक्षता :-

- (i) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई0टी0आई0 के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
- (iii) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 10वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

2. कक्षा 12वीं की समकक्षता :-

- (i) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

396

- (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई0टी0आई0 के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
- (iii) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कॉंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

3. संकाय निर्धारण :-

उक्त सभी बिन्दुओं में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा एवं अन्य उद्देश्य हेतु बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों को विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र) से उत्तीर्ण छात्र माना जायेगा। बारहवीं की समकक्षता प्राणिशास्त्र/वनस्पतिशास्त्र अथवा कृषि संकाय के लिए नहीं होगी।

ह0/-

(अरशद फ़िरोज)

सरकार के उप सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/विविध-10/2017

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निजी सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/विविध-10/2017 342

पटना, दिनांक 9.7.2018

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

प्रिन्सिपल (क) 199

पत्रांक : 09/मु0-22/2023 I. 70728/2023

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Assistant (vividh)

coe (vividh)

28 JUL 2023

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, (मा0प्र0से0)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 26.07.2023

विषय : औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू विषय को शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू विषय को शामिल किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-940/2021 (मुशर्रत जहाँ एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है।

अंकनीय है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-342 दिनांक 09.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियंत्रणाधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो या दो वर्ष से अधिक के अवधि के व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता एवं संकाय निर्धारण कतिपय शर्तों के साथ किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को 12वीं की समकक्षता हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है।

सम्यक विचारोपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों हेतु ली जाने उक्त परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के अलावा उर्दू विषय को शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदालोक में निदेश दिया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू विषय में से किन्हीं दो विषयों की भाषा परीक्षा परीक्षार्थी के द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार लेना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।



विश्वासभाजन

26/7/23

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

1306

871/ECV
03/08/23

